



**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन**  
 Employees' Provident Fund Organisation  
 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
 (MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)  
**मुख्य कार्यालय/Head Office**  
 भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066  
 Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066  
 वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in. www.epfindia.nic.in



संख्या :हि.अ./ति.प्रति./संगठन/2017

24/6

दिनांक:

28 AUG 2017

सेवा में,

सभी आंचलिक (जोनल) कार्यालय

सभी क्षेत्रीय कार्यालय,

पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस. सहित सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान एवं

उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

**विषय: 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए विभिन्न जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई समीक्षा रिपोर्ट एतद्वारा संलग्न है। समीक्षा रिपोर्ट में राजभाषा निष्पादन में पाई गई कमियों को दर्शाया गया है। जिन कार्यालयों की रिपोर्ट सही है तथा राजभाषा संबंधी निष्पादन भी उच्च श्रेणी का है को "उत्कृष्ट" श्रेणी दी गई है। ऐसे कार्यालय जिनकी रिपोर्टों में कमियां पाई गई हैं से अनुरोध है कि के राजभाषा निष्पादन क्षेत्र में कोताही न बरतें एवं दर्शायी गयी कमियों को दूर करते हुए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करने के भरपूर प्रयास करें।

(अपर भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

अनुलग्नक : यथोपरि

भवदीय

(वीणा रानी यादव)

उप निदेशक (राजभाषा)



**30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संबंध में।**

| क्र.सं | कार्यालय का नाम                         | समीक्षा                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | मुख्यालय दिल्ली                         | हिंदी में नोटिंग को बढ़ाया जाए। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर दिए जाने चाहिए। इसकी संख्या को बढ़ाया जाए।                                                                |
| 2      | नाटूरस                                  | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 3      | आं.प्र.सं. फरीदाबाद                     | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                           |
| 4      | आं.प्र.सं. चेन्नै                       | हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।                                                                                                                                                        |
| 5      | आं.प्र.सं. कोलकाता                      | हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।                                                                                                                                                        |
| 6      | आं.प्र.सं. उज्जैन                       | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 7      | उप- आं.प्र.सं. शिलांग                   | आंकड़े सही नहीं हैं, कृपया जांच लें।                                                                                                                                                     |
| 8      | दिल्ली एवं उत्तराखंड (जोनल ऑफिस) दिल्ली | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                           |
| 9      | दिल्ली (पूर्व)                          | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए।                                                                                                |
| 10     | दिल्ली (पश्चिम)                         | —                                                                                                                                                                                        |
| 11     | दिल्ली (केन्द्रीय)                      | —                                                                                                                                                                                        |
| 12     | दिल्ली (उत्तर)                          | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 13     | दिल्ली (दक्षिण)                         | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए।                                                                                                |
| 14     | देहरादून                                | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 15     | हल्द्वानी                               | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 16     | उत्तर प्रदेश (जोनल कार्यालय) कानपुर     | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए।                                                                                                |
| 17     | आगरा                                    | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 18     | कानपुर                                  | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 19     | लखनऊ                                    | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए। कार्यशाला नहीं की गई है। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                      |
| 20     | मेरठ                                    | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                 |
| 21     | नोएडा                                   | राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। कार्यशाला नहीं की गई है। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                         |
| 22     | वाराणसी                                 | धारा 3(3) के आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। कार्यशाला नहीं की गई है।                                                                                                                            |
| 23     | इलाहाबाद                                | कार्यशाला नहीं की गई है।                                                                                                                                                                 |
| 24     | बरेली                                   | धारा 3(3) के आंकड़े सही नहीं हैं, कृपया जांच करें।                                                                                                                                       |
| 25     | गोरखपुर                                 | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए। कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। |
| 26     | हरियाणा (जोनल ऑफिस) फरीदाबाद            | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                           |
| 27     | फरीदाबाद                                | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                           |
| 28     | गुडगाँव-I                               | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                                      |
| 29     | गुडगाँव-II                              | —                                                                                                                                                                                        |
| 30     | करनाल                                   | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                          |
| 31     | रोहतक                                   | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                         |
| 32     | राजस्थान (जोनल ऑफिस) जयपुर              | बैठक का आयोजन नहीं।                                                                                                                                                                      |



|    |                                                |                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | जयपुर                                          | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
| 34 | जोधपुर                                         | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
| 35 | उदयपुर                                         | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
| 36 | कोटा                                           | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
| 37 | बिहार एवं झारखंड (जोनल ऑफिस) पटना              | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। |
| 38 | जमशेदपुर                                       | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
| 39 | पटना                                           | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए।                                                  |
| 40 | रांची                                          | राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है।                                                                                                     |
| 41 | भागलपुर                                        | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। |
| 42 | मुजफ्फरपुर                                     | रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।                                                                                                |
| 43 | मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (जोनल ऑफिस) भोपाल    | —————                                                                                                                                      |
| 44 | भोपाल                                          | —————                                                                                                                                      |
| 45 | इंदौर                                          | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 46 | जबलपुर                                         | राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है।                                                                                                     |
| 47 | रायपुर                                         | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है।                                                                                                          |
| 48 | ग्वालियर                                       | —————                                                                                                                                      |
| 49 | सागर                                           | —————                                                                                                                                      |
| 50 | उज्जैन                                         | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
|    | छ क्षेत्र                                      | —————                                                                                                                                      |
| 51 | पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश (जोनल ऑफिस)            | उत्कृष्ट                                                                                                                                   |
| 52 | भटिंडा                                         | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है।                                                                                                          |
| 53 | चंडीगढ़                                        | अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की संख्या बढ़ाएं। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                 |
| 54 | जालंधर                                         | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 55 | लुधियाना                                       | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                         |
| 56 | अमृतसर                                         | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 57 | शिमला (क क्षेत्र)                              | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 58 | मुंबई -1 (जोनल ऑफिस) बांद्रा                   | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 59 | बांद्रा-I                                      | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 60 | बांद्रा-II                                     | —————                                                                                                                                      |
| 61 | बांद्रा-III                                    | —————                                                                                                                                      |
| 62 | बांद्रा-IV                                     | —————                                                                                                                                      |
| 63 | मुम्बई -2 ( (जोनल ऑफिस) थाणे                   | —————                                                                                                                                      |
| 64 | कांदीवली-I                                     | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 65 | कांदीवली-II                                    | —————                                                                                                                                      |
| 66 | थाणे -I                                        | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                           |
| 67 | थाणे -II                                       | —————                                                                                                                                      |
| 68 | वाशी                                           | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                 |
| 69 | महाराष्ट्र (जोनल ऑफिस) (मुम्बई को छोड़कर) पुणे | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए।                                                  |
| 70 | पुणे-I                                         | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                        |



|     |                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | पुणे-II                           | —————                                                                                                                                                                                      |
| 72  | औरंगाबाद                          | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 73  | कोल्हापुर                         | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 74  | नागपुर                            | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 75  | नासिक                             | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 76  | शोलापुर                           | 'क' तथा 'ग' क्षेत्र में हिंदी में कोई पत्र नहीं भेजा गया है। हिंदी में पत्राचार बढ़ाएं। अंग्रेजी पत्रों की पावती अवश्य ही हिंदी में भेजें।                                                 |
| 77  | अकोला                             | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 78  | गुजरात (जोनल ऑफिस) अहमदाबाद       | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                             |
| 79  | अहमदाबाद                          | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 80  | भरूच                              | धारा 3(3) के आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। कृपया जांच करें।                                                                                                                                      |
| 81  | नरोडा                             | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 82  | राजकोट                            | अंग्रेजी पत्रों की पावती हिंदी में भेजें। कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                   |
| 83  | सुरत                              | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 84  | वडोदरा                            | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 85  | वटवा                              | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। पत्राचार तथा नोटिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा असमानता है।                                                                                           |
| 86  | वापी                              | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। पत्राचार तथा नोटिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा असमानता है।                                                                                           |
|     | ग क्षेत्र                         |                                                                                                                                                                                            |
| 87  | आंध्र प्रदेश (जोनल ऑफिस) विजयवाडा | —————                                                                                                                                                                                      |
| 88  | गुंटूर                            | —————                                                                                                                                                                                      |
| 89  | कडप्पा                            | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 90  | राजमुंद्री                        | —————                                                                                                                                                                                      |
| 91  | विशाखापट्टनम                      | रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                               |
| 92  | बंगलौर (जोनल ऑफिस) बंगलौर         | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                            |
| 93  | बंगलौर-I                          | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 94  | बंगलौर-II                         | —————                                                                                                                                                                                      |
| 95  | बोम्मसंद्रा-I                     | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। पत्राचार तथा नोटिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा असमानता है। |
| 96  | बोम्मसंद्रा-II                    | —————                                                                                                                                                                                      |
| 97  | के आर पुरम                        | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। पत्राचार तथा नोटिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा असमानता है।                                                                                           |
| 98  | पीन्या                            | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। पत्राचार तथा नोटिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा असमानता है।                                                                                           |
| 99  | आर आर नगर                         | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। टिप्पणी की संख्या दें प्रतिशत नहीं।                                                                                                                  |
| 100 | तुमकुर                            | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                      |
| 101 | येलाहांका                         | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                      |
| 102 | चेन्नई एवं पुदुचेरी (जोनल ऑफिस)   | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 103 | अंबातूर                           | टिप्पणी के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।                                                                                                                                                         |
| 104 | चेन्नई-I                          | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                           |
| 105 | चेन्नई-II                         | —————                                                                                                                                                                                      |



|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | तांवरम                                                    | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                               |
| 107 | वैल्लोर                                                   | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। पत्राचार तथा नोटिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा असमानता है।                                                                                                                               |
| 108 | पुदुचेरी                                                  | टिप्पणी के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।                                                                                                                                                                                             |
| 109 | कर्नाटक (बंगलोर के अलावा अन्य) एवं गोवा (जोनल ऑफिस) हुबली | —                                                                                                                                                                                                                              |
| 110 | गोवा                                                      | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 111 | हुबली                                                     | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                           |
| 112 | मंगलौर                                                    | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                               |
| 113 | मैसूर                                                     | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                               |
| 114 | बेल्लारी                                                  | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। टिप्पणी की संख्या दें प्रतिशत नहीं।                                                                                                                                                      |
| 115 | चिकमंगलूर                                                 | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                |
| 116 | गुलबर्गा                                                  | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                           |
| 117 | रायचूर                                                    | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                           |
| 118 | शिमोगा                                                    | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 119 | उड्डुपि                                                   | पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                               |
| 120 | केरल एवं लक्ष्यद्वीप (जोनल ऑफिस) त्रिवेंद्रम              | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। हिंदी में एक भी पत्र नहीं भेजा गया है तथा एक भी टिप्पणी हिंदी में नहीं लिखी गयी है।                                             |
| 121 | कालीकट                                                    | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 122 | कोच्चि                                                    | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 123 | त्रिवेंद्रम                                               | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 124 | कन्नूर                                                    | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 125 | कोल्लम                                                    | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 126 | कोट्टायम                                                  | रिपोर्ट अप्राप्त                                                                                                                                                                                                               |
| 127 | उत्तर-पूर्व क्षेत्र (जोनल ऑफिस) गुवाहाटी                  | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।                                                                                     |
| 128 | गुवाहाटी                                                  | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                                                                 |
| 129 | अगरतला                                                    | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी पत्र द्विभाषी होने चाहिए। कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। |
| 130 | शिलांग                                                    | रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                    |
| 131 | तिनसुकिया                                                 | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                            |
| 132 | ओडिशा (जोनल ऑफिस) भुवनेश्वर                               | —                                                                                                                                                                                                                              |
| 133 | भुवनेश्वर                                                 | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                                                                       |
| 134 | राउरकेला                                                  | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के अनुसार नोटिंग कम है।                                                                                                |
| 135 | ब्रह्मपुर                                                 | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                            |
| 136 | क्योंझर                                                   | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                            |
| 137 | तमिल नाडु (चेन्नई को छोड़कर) (जोनल ऑफिस) कोयम्बतूर        | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें।                                                                                                                                 |
| 138 | कोयम्बतूर                                                 | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                                                                          |
| 139 | मद्रै                                                     | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                                                                            |
| 140 | सेलम                                                      | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                             |



|     |                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | तिरुनेलवेली                                                  | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                            |
| 142 | त्रिची                                                       | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                            |
| 143 | नागरकोइल                                                     | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                            |
| 144 | तेलंगाना (जोनल ऑफिस) हैदराबाद                                | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                         |
| 145 | हैदराबाद-I                                                   | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                         |
| 146 | हैदराबाद-II                                                  | —                                                                                                                                                                                |
| 147 | कुक्कटपली                                                    | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                               |
| 148 | पट्टनचेरू                                                    | कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                             |
| 149 | निजामाबाद                                                    | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                              |
| 150 | करीमनगर                                                      | रा.भा.का.स. बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। |
| 151 | सिद्दिपेट                                                    | रिपोर्ट पुराने प्रपत्र में भेजी गई है।                                                                                                                                           |
| 152 | वारंगल                                                       | —                                                                                                                                                                                |
| 153 | प.बं., अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम (जोनल ऑफिस) कोलकाता | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                              |
| 154 | बैरकपुर                                                      | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                              |
| 155 | दुर्गापुर                                                    | उत्कृष्ट                                                                                                                                                                         |
| 156 | हावड़ा                                                       | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                              |
| 157 | जलपाईगुड़ी                                                   | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                              |
| 158 | जंगीपुर                                                      | पत्राचार के आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं।                                                                                                                                            |
| 159 | कोलकाता                                                      | टिप्पणी के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।                                                                                                                                               |
| 160 | पार्क स्ट्रीट                                                | धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है                                                                                                                                                 |
| 161 | सिलिगुड़ी                                                    | पत्राचार को देखते हुए नोटिंग कम है।                                                                                                                                              |
| 162 | दार्जिलिंग                                                   | —                                                                                                                                                                                |
| 163 | पोर्ट ब्लेयर                                                 | राजभाषा नियम 5 संबंधी आंकड़े अपूर्ण हैं। पत्राचार बढ़ाया जाए। हिंदी में नोटिंग की जाए। कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए जाए।                                                        |